मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 68 | नवम्बर, 2023 | अंक 11 | कुल पृष्ठ 6

(भाग -2)

"हरित क्रांति से अमृत काल तक: भारतीय कृषि के लिए सबक और आगे का रास्ता" पुस्तक से लिया गया है, जो भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के सदस्य, प्रोफेसर रमेश चंद के द्वारा लिखित एक वर्किंग पेपर है।

देश अब आगामी 25 वर्षों के लिए योजना बना रहा है, जिसका समापन भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के साथ होगा। इस काल को अमृत काल कहा गया है। इस काल के दौरान कृषि के लिए योजना और नीति निर्माण निम्नलिखित कारकों पर आधारित होना चाहिए:

1. कृषि-खाद्य की भावी मांग।

2. पिछले अनुभव, विशेष रूप से विकास के संचालकों से संबंधित सीख।

3. चुनौतियाँ जिनका यह क्षेत्र सामना कर रहा है और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ।

4. कृषि के संचालन वातावरण में उभरते अवसर और परिवर्तन।

5. राष्ट्र और समाज के लिए निर्धारित आवश्यकताएं और लक्ष्य।

2.1 भविष्य की मांग को पूरा करना

कृषि उपज की मांग के चार मुख्य स्रोत हैं: (i) मानव जनसंख्या के लिए भोजन, (ii) पशुओं के लिए आहार और चारा, (iii) ऊर्जा के लिए फीडस्टॉक, और (iv) औद्योगिक और गैर-कृषि उपयोगों के लिए कच्चा माल।

भोजन की मांग जनसंख्या, ग्रामीण-शहरी जनसंख्या वितरण, प्रति व्यक्ति आय और उपभोक्ताओं के स्वाद और वरीयताओं द्वारा संचालित होती है। 2019 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार8 , भारत की जनसंख्या 2020 में 1.38 बिलियन (138 करोड़) से बढ़कर 2030 में 1.5 बिलियन (150 करोड़) और 2040 में 1.59 बिलियन (159 करोड़) हो जाएगी। इन अनुमानों के अनुसार जनसंख्या 2020 से 2030 के बीच प्रति वर्ष 0.857 प्रतिशत की दर से और 2030 से 2040 के बीच 0.577 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अतिरिक्त आबादी की मांग को पूरा करने के अलावा, भूख और अल्पपोषण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भोजन की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि करने की भी अत्यधिक आवश्यकता है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मांग को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। 2011-12 के उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों के आधार पर भोजन की व्यय लोच लगभग 0.45 होने का अनुमान है (नीति आयोग, 2018)9 । प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ व्यय लोच घटती जाती है। 2011-12 से 2021-22 के बीच भारत में वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय (2011-12 की कीमतों पर) में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आने वाले वर्षों में इसमें बहुत तेज गति से वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य यह है कि 2023 से आगे की अवधि के लिए व्यय लोच 0.45 से बहुत कम होगा। इन मापदंडों के

अनुरूप, प्रति व्यक्ति व्यय में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर मांग में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि दर में परिवर्तित होगी। प्रति वर्ष 0.85 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि के साथ, अल्पावधि में खाद्य वस्तुओं की कुल मांग में वृद्धि लगभग 2.85 प्रतिशत होने का अनुमान है और समय बीतने के साथ इसमें गिरावट आने की संभावना है।

2.2 उत्पादन में वृद्धि के संचालक

पिछले 50 वर्षों का अनुभव स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि भारतीय किसान बाजार संकेतों से काफी प्रभावित होते हैं। ये संकेत सार्वजनिक नीति (जैसे एमएसपी, खरीद) से आ सकते हैं या मांग पक्ष में बदलाव से आ सकते हैं। मूल्य समर्थन के प्रभाव की तुलना में मांग द्वारा संचालित कारक भी उत्पादन की वृद्धि पर अधिक प्रभाव डालते हुए पाए गए हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनाज और गन्ना (इन दोनों को सरकार का भारी समर्थन प्राप्त है और प्रभावी मूल्य समर्थन के तहत शामिल किया गया है) की तुलना में फल और सब्जियों, दूध, अंडे, मांस और मछली में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

इससे उत्पन्न नीतिगत संदेश यह है कि कृषि क्षेत्र का मजबूत और स्वस्थ विकास मांग में बदलाव के अनुरूप उत्पादन में बदलाव पर आधारित है। इस व्यवस्था को मूल्य विकृतियों से बचना चाहिए और मांग के संकेतों को उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी बाजार व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए

2.3 कृषि से संबंधित और सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीकों के प्रसार के तुरंत बाद हरित क्रांति के पहले पड़ाव की समस्याओं पर काफी चर्चा हुई। ये समस्याएँ समय के साथ और अधिक गंभीर होती गईं और इनमें से कुछ समस्याएँ सरकार की नीतियों के कारण और भी गंभीर हो गईं। ये चुनौतियाँ प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, दक्षता, छोटी जोत वाले किसानों की स्थिति, खाद्य सुरक्षा, लाभप्रदता, राजकोषीय प्रभाव और साम्यता से संबंधित हैं। कृषि नीति को अमृत काल के दौरान इन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। इनका संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया है।

2.3.1 स्थिरता और जलवायु परिवर्तन

जिस तरह से कृषि की जाती है उसका वायु, जल और भूमि, जो स्थिरता के स्तंभ हैं, की गुणवत्ता पर काफी प्रभाव पड़ता है। देश में पानी के उपयोग का बड़ा हिस्सा कृषि के लिए है, और भूमि का 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल कृषि के अधीन है। भारत में कृषि विकास ने पूरे देश में प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से पानी के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है।

जल निकासी जल पुनर्भरण से बहुत अधिक है। नतीजतन, भूमिगत जल तालिका देश के 36 प्रतिशत ब्लॉकों में बहुत कम से लेकर बहुत अधिक गिरावट दर्शाती है। यह अधिक वर्षा, जल संपन्न, मध्य भारत-गंगा क्षेत्र में भी हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में किसान जमीनी स्तर से 1,000 फीट नीचे से भूजल निकाल रहे हैं। इससे सिंचाई की लागत में वृद्धि हुई है और अच्छी गुणवत्ता वाले पानी में खारे पानी और आर्सेनिक तत्वों के प्रवेश के कारण कई क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है।

उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण भूमि, जल और वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। कृषि के लिए नि:शुल्क या रियायती बिजली ने अधिक पानी की खपत वाली फसलों की खेती और कृषि के लिए अतिरिक्त पानी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। कुछ क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और भावी पीढ़ियों के लिए पानी की कमी का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उत्पादन और लागत कीमतों में विरूपण ने भारत को चावल और चीनी जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों का निर्यात करने और दलहन और खाद्य तेल जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों का आयात करने के लिए अग्रसर किया है। वैश्विक निर्यात में अपनी छोटी हिस्सेदारी के साथ भी, आज भारत वर्चुअल पानी, यानी निर्यात किए गए कृषि खाद्य उत्पादों में निहित पानी का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरी ओर, आबादी के एक बड़े हिस्से को पीने और अन्य उपयोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है।

कृषि की गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें (जीएचजी) आम तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। मिट्टी में कार्बनिक और अकार्बनिक इनपुट को डालने, बायोमास और पौधों के अवशेषों के अपघटन, पौधों के श्वसन, पशुधन पालन, जुगाली करने वाले जानवरों की आंतों में किण्वन, खाद की

हैंडलिंग और फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्सर्जन होता है। भारत में जीएचजी के लगभग 17 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए कृषि जिम्मेदार है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके हिस्से के कमोबेश बराबर है। यदि फसलों के अवशेष को जलाने, जो अब सभी राज्यों में फैल रहा है, को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए तो यह हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी।

2.3.2 कम दक्षता और मूल्य नीत विकास

हालांकि कृषि क्षेत्र ने अधिकांश उत्पादों और राज्यों में प्रभावशाली विकास किया है, भारत में कृषि क्षेत्र का विकास अभी भी कम उत्पादकता स्तर से जूझ रहा है, विशेषकर तब जब हम अन्य प्रमुख कृषि देशों के विकास से तुलना करते हैं। आधुनिकीकरण की गति धीमी है। उत्पादन की तकनीक, विधि और फसल तैयार होने के बाद के मूल्यवर्धन में बहुत जरूरी बदलाव बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाढ़ सिंचाई और उर्वरक बिखेरने जैसे इनपुट के बहुफल उपयोग से जुड़ी कृषि पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। कई फसलों के मामले में, उत्पादकता में वृद्धि उत्पादन की औसत लागत में वृद्धि के साथ हुई है (श्रीवास्तव, और अन्य, 2017), जिसके कारण लाभप्रदता के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पाद की कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। सरकारी सहायता पर कृषि क्षेत्र की निर्भरता बढ़ रही है। इस कारण से यह क्षेत्र अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो रहा है।

यद्यपि गैर कीमत कारक विकास की संभावना पैदा करते हैं, परंतु उत्पादन की लाभकारी कीमतें किसानों को विकास क्षमता का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार, भविष्य में कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए दोनों कीमत और गैर कीमत कारक महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ, विभिन्न किसान समूहों का ध्यान बेहतर मूल्य समर्थन और सब्सिडी की ओर चला गया है और कृषि विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, बाजार विनियमन और बुनियादी ढांचे, जैसे गैर कीमत कारकों, जो उत्पादन और कृषि आय में वृद्धि के अवसर पैदा करते हैं, पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मूल्य से जुड़े कारकों और सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता का संघ और राज्य सरकारों के राजकोषीय बोझ पर भी प्रभाव पड़ता है।

मूल्य से जुड़े कारकों की ओर नीतिगत बदलाव गैर-कृषि क्षेत्र में कीमतों की सापेक्षता में कृषि में कीमतों के रुझान से दिखाई देता है - जिसे कृषि के लिए व्यापार की शर्तें (टीओटी) भी कहा जाता है। टीओटी को वर्ष 2011-12 के आधार मूल्य के साथ डेटा श्रृंखला का उपयोग करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र के निहित मूल्य अपस्फीतिकारक की सापेक्षता में कृषि क्षेत्र के निहित मूल्य अपस्फीतिकारक के अनुपात के रूप में लिया जाता है। टीओटी ने 1970-71 से 2006-07 की अवधि के दौरान किसी स्पष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं किया। इसके बाद टीओटी का रुख तेजी से कृषि की तरफ बढ़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान मूल्य की प्रवृत्तियां कृषि और किसानों के लिए अधिकाधिक अनुकूल हो गई हैं।

हाल की अवधि में कृषि क्षेत्र के लिए वास्तविक कीमतों में वृद्धि ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृत काल के दौरान यह विकल्प हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता। विकास के पिछले रुझानों को बनाए रखने के लिए देश को उपज बढ़ाने और लागत में बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता होगी।

2.3.3 भोजन को स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, अल्प विकसित और कम वजन वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता उच्च स्तर पर बनी हुई है। साथ ही, भारत ने 2005-06 के बाद अनाज को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाद्यान्न जिसमें फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मांस और मछली शामिल हैं, के प्रति व्यक्ति निवल सेवन में बहुत अधिक वृद्धि हासिल की है (तालिका 4 और चित्र 3)। 2004-05 से 2020-21 के बीच सभी खाद्य पदार्थों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच यह समझाने की आवश्यकता है कि खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यह वृद्धि पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित क्यों नहीं होती है। यह तथ्य कि 2005-06 से 2020-21 के बीच अधिक वजन वाली महिलाओं का प्रतिशत दोगुना हो गया है, अल्प पोषण और एनीमिया के कारण के रूप में खाद्य पदार्थों की कम उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में उच्च वृद्धि और पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में धीमे सुधार के बीच विरोधाभास को दूर करने की

आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और पोषण की सही स्थिति का पता लगाने के साथ-साथ पुष्टाहार और स्वास्थ्य परिणामों का निर्धारण करने में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों के वितरण, पोषण के बारे में जागरूकता, खानपान की आदतों और प्राथमिकताओं, स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की विविधता की भूमिका का पता लगाने के लिए एक देशव्यापी सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

जैसा कि अब देश खाद्य पदार्थों की कमी की स्थिति से बाहर निकलकर खाद्य पदार्थों के अधिशेष की स्थिति में चला गया है, उत्पादन का ध्यान पोषक और स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर होना चाहिए। प्रमुख खाद्य पदार्थों के बायो-फोर्टिफिकेशन और आहार विविधता में वृद्धि पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी आयु समूहों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए श्री अन्न (Millet) और हरी एवं पत्तेदार सब्जियों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है।

2.3.4 निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता

1988-89 से भारत खाद्य पदार्थों का निवल निर्यातक बना हुआ है। घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भी निवल निर्यात में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब यह है कि घरेलू मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि इसी तरह की प्रवृत्ति एक या दो दशक तक जारी रहेगी।

चावल और चीनी जैसी कुछ जिंसों के घरेलू अधिशेष को बेचने के लिए निर्यात बाजार पर निर्भरता बहुत अधिक होगी। भारत पहले से ही चावल के घरेलू उत्पादन के 12 प्रतिशत से अधिक हिस्से का निर्यात कर रहा है। ऐसा सूचित किया गया है कि देश में अनाज के लिए व्यय लोच नकारात्मक (-0.10) है। इसका तात्पर्य यह है कि अनाज की घरेलू मांग में कम वृद्धि, जिसका श्रेय जनसंख्या में वृद्धि के धीमे होने को दिया जाता है, ने उनके निर्यात को आवश्यक बना दिया है। इसी तरह, दूध और डेयरी उत्पादों का प्रति व्यक्ति उत्पादन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) जैसे पोषण प्राधिकरणों द्वारा अनुशंसित स्तर को पार कर गया है। उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ, भारत में दूध सरप्लस होगा। बड़ी संख्या में बागवानी की जिंसों, मसालों और चटनी और पेय पदार्थों के लिए भी निर्यात बाजार बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आपूर्ति पक्ष पर, भारतीय कृषि अगले दशक में 3-4 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ने की स्थिति में है, क्योंकि अभी भी फसलों और पशुधन की उत्पादकता के साथ-साथ फसल तीव्रता बढ़ाने की विशाल अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। खाद्य पदार्थों की समग्र मांग में प्रति वर्ष लगभग 2.85 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इन अनुमानों का अर्थ यह है कि भारत में खाद्य अधिशेष में तेजी से वृद्धि होगी। वर्तमान में, निर्यात कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल उत्पादन के मूल्य के 7 प्रतिशत से अधिक है। यह आने वाले वर्षों में अवश्य बढ़ना चाहिए। इसके लिए कृषि निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है और तीन क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता है:

❋ प्राथमिक बाजारों में कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से काफी कम होनी चाहिए;

❋ विपणन के विभिन्न चरणों में फैले मूल्य को कम किया जाना चाहिए; और

❋ उत्पादकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

2.3.5 प्रौद्योगिकी प्रसार और अनुसंधान एवं विकास

कृषि की समस्याएं अधिक जटिल होती जा रही हैं और अनुसंधान अधिक पूंजी गहन होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, जीएचजी उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी और सततता (sustainability) संबंधी चिंताएं उन चुनौतियों को बढ़ाती हैं, इनसे मजबूत अनुसंधान और विकास प्रणाली के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है। विकसित देशों में अनुसंधान से वाह्यता (spill over) की गुंजाइश घट रही है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे मामलों को जटिल बना रहे हैं और विदेशों और निजी क्षेत्र से प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए इसे महंगा बना रहे हैं। इस प्रकार, भारत को कृषि अनुसंधान में अपनी घरेलू क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।

कई नवाचारों के आ जाने से, वैश्विक स्तर पर कृषि अधिक प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। परन्तु, मुख्य रूप से कमजोर विस्तार (extention system) के कारण देश में बेहतर और साथ ही सीमांत प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति कम बनी हुई है। प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से भूमि तक ले जाने और किसानों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के कार्य मुख्य

रूप से राज्यों द्वारा किए जाते थे। हाल ही में, संसाधनों और जनशक्ति दोनों के संदर्भ में राज्यस्तरीय विस्तार प्रणालियाँ काफी कमजोर हो गई हैं। तेजी से और लागत प्रभावी विस्तार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे असरदार तंत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

कुछ समय से, भारत में कृषि में हो रहा अनुसंधान एवं विकास प्रमुख कृषि आधारित देशों के साथ रफ्तार नहीं बिठा पा रहा है। यह पैदावार में बढ़ते अंतर, खेती की सटीक और स्मार्ट तकनीकों को अपनाने की कमी और कृषि में उन्नत विज्ञान के कम अनुप्रयोग से स्पष्ट है। चावल और गेहूँ को छोड़कर, भारत वैश्विक उत्पादकता के साथ गतिशील नहीं हो रहा है। कपास, सोयाबीन, मूंगफली, और सरसों जैसी प्रमुख फसलें पैदावार में सुधार के लिए इंतजार कर रही हैं जो पहले ही कई देशों में बड़े पैमाने पर देखी जा चुकी हैं।

हालांकि कृषि अनुसंधान और उच्च शिक्षा काफी हद तक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) की जिम्मेदारी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को कृषि क्षेत्र से संबंधित किसी भी चुनौती और मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर जनमत कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रतिकूल विकास के लिए आईसीएआर को जिम्मेदार मानता है। फलत:, आईसीएआर का पोर्टफोलियो समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी के साथ इसका भार कई गुना बढ़ गया है। कृषि अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में जिस बड़ी भूमिका को यह ग्रहण कर रहा है और निभाने की उम्मीद की जा रही है उसे निभाने में आईसीएआर की प्रभावशीलता के बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। आईसीएआर में संगठनात्मक सुधारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह, कई नीतिगत दस्तावेजों ने कृषि अनुसंधान और विकास पर खर्च को कृषि जीडीपी के कम से कम 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। हालाँकि, आवंटन (केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को मिलाकर) 0.5 प्रतिशत से नीचे बना हुआ है। यह कृषि क्षेत्र की जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहद अपर्याप्त है। भारत को कृषि के लिए एक जीवंत और भविष्य के लिए तत्पर राष्ट्रीय अनुसंधान प्रणाली की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र द्वारा भी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अमृत काल के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश में कृषि अनुसंधान एवं विकास नीति और अनुसंधान एवं विकास प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

2.3.6 लघु जोत की व्यवहार्यता

भारत और अधिकांश एशियाई देशों में कृषि पर छोटी जोतों की बहुलता है। 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, 68 प्रतिशत कृषि जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर संचालित होती है। इसके अलावा, 85 प्रतिशत किसान परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। हालांकि छोटी जोत वाले किसान बड़े आकार वाली जोत की तुलना में अधिक कुशल पाये गये है (चंद, और अन्य, 2011), परंतु सामान्य कृषि पद्धतियों और उत्पादों के भीतर संचालन करने वाली छोटी कृषि जोत अच्छे जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं करती है।

ऐसी खेती की आय बढ़ाने के दो रास्ते हैं। पहला, इन किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों और पशुधन से जुड़ी गतिविधियों को अपनाने के लिए सक्षम बनाना जहां वे अपने परिवार के कार्यबल का इष्टतम उपयोग कर सकें। दूसरा, कृषि से भिन्न स्रोतों जैसे कि मजदूरी और वेतन, किसी प्रकार के व्यवसाय और व्यापार से आय के साथ कृषि आय का पूरा करना। छोटेकिसान इनपुट और आउटपुट दोनों बाजारों में मितव्ययिता की समस्या का भी सामना करते हैं, जिसके लिए एक अलग प्रकार की संस्थागत मदद की आवश्यकता होती है।

कृषि से भिन्न स्रोतों से होने वाली आय किसान परिवारों की आय का एक महत्वपूर्णहिस्सा होती है। एनएसओ द्वारा प्रकाशित 'किसान परिवार की स्थिति का आकलन, 2019' के अनुसार एक किसान परिवार कृषि से भिन्न आर्थिक गतिविधियों से औसतन 47.35 प्रतिशत आय अर्जित करता है। 2012-13 में यह हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि कृषि से भिन्न स्रोतों से आय का महत्व बढ़ रहा है। इसलिए, किसान परिवारों की आय में तेज रफ्तार से वृद्धि करने के लिए, कृषि के साथ-साथ कृषि से भिन्न स्रोतों का भी उपयोग करने की आवश्यकता है।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 नवम्बर, 2023
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, नवम्बर 2023

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**